ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-1* Issue-11* February- 2017
Anthology : The Research

भारत में पर्यावरण संरक्षण एवं कानूनी प्रावधान

राम किशोर उपाध्याय
व्याख्याता
लोक प्रशासन विभाग,
राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा, राजस्थान, भारत

सारांश

पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। यहाँ की परम्पराएं, लोगों का प्रकृति–प्रेम जिसे वृक्षों, नदियों, सरोवरों, पहाड़ एवं पहाड़ियों आदि की पूजा के रूप में देखा जा सकता है, पर्यावरण–जागरूकता आदि ने हमेशा भारतीय पर्यावरण को पोषित एवं संरक्षित किया है।

प्राचीन भारतीय समाज में न पर्यावरण प्रदूषण था और न पर्यावरण संरक्षण कानून, परन्तु स्वाभाविक रूप से भारतीय पर्यावरण संरक्षित रहता था। प्राचीन भारतीय इतिहास इस बात पर पर्याप्त प्रकाश डालता है कि तत्कालीन सामाजिक–सांस्कृतिक जीवन ऐसे तत्वों से ओतप्रोत था कि सभी लोगों के लिए पीने के लिए शुद्ध जल, सांस लेने के लिए शुद्ध वायु एवं स्वयं आनंदित रहने के लिए पूर्ण मानसिक शान्ति होती थी।

पर्यावरण प्रदूषण आधुनिक मानव की भौतिक प्रवृत्तियों का परिणाम है जो निरंतर बढ़ रही है, तथा पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। पर्यावरण प्रदूषण का वर्तमान परिदृश्य आघातपूर्ण है क्योंकि आज न तो शुद्ध हवा है, न शुद्ध जल और न मानसिक शान्ति। आधुनिक मानव स्व–केंद्रित है और स्वयं को अधिकाधिक भौतिक सुख प्रदान करने के लिए पर्यावरण सम्बन्धी किसी भी प्रकार की जोखिम उठा सकता है।

प्रस्तुत शोधपत्र में पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न कानूनों पर प्रकाश डाला गया है तथा सुझाव भी प्रस्तुत किया गया है कि लोगों को चाहिए कि स्वविवेक का प्रयोग करते हुए वे पर्यावरण को अपने लिए एवं अपनी भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करें जिससे उनका जीवन सुखमय रहे।

मुख्य शब्द : पर्यावरण, संरक्षण, परम्पराएं, प्रकृति–प्रेम, पर्यावरण–जागरूकता, प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण कानून, भारतीय इतिहास, सामाजिक–सांस्कृतिक जीवन, आधुनिक मानव, स्व–केंद्रित।

प्रस्तावना

पर्यावरण हमेशा मानव–कवच के रूप में हमेशा से मानव की विभिन्न प्रकार की परेशानियों से रक्षा करता रहा है। भारतीय सामाजिक–सांस्कृतिक पर्यावरण ने सदैव भारत के लोगों को प्रकृति एवं पर्यावरणीय मूल्यों से जोड़ कर रखा है। इसी का यह परिणाम रहा की भारतीय जीवन दर्शन स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क एवं स्वस्थ पर्यावरण से ओतप्रोत रहा है।

पर्यावरण मानव व्यक्तित्व के चहुंमुखी विकास में तो सहयोगी है ही, अलावा यह मानव जीवन को विभिन्न प्रकार की व्याधियों से दूर रखकर इसको सरल और आसान बनाता है। प्राचीन भारतीय सामाजिक–सांस्कृतिक व्यवस्थाएं इस प्रकार की थीं कि तत्कालीन समाज का प्रत्येक व्यक्ति तन–मन से प्राकृतिक पर्यावरण से जुड़ा हुआ था और स्वयं के जीवन और सुख–सुविधाओं की तुलना में प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देता था।

प्रकृति–पूजा उसे वृक्षों, नदियों, पहाड़ों एवं पहाड़ियों, तालाबों, सरोवरों, झीलों आदि के स्वाभाविक संरक्षण से जोड़ती थीं। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक–संस्कृति से दूर रखकर प्राकृतिक सौंदर्य को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ावा देता था। हर घर में और उसके आसपास प्रकृति को प्रफुल्लित रूप जा सकता था, परन्तु अब ऐसा नहीं है ।

आधुनिक मानव स्वार्थी है और व्यक्तिवादी है। वह स्वयं के लिए जीना चाहता है और अपने सुखों में वृद्धि करने के लिए वह किसी भी हद तक जासकता है। उसके लिए पर्यावरणीय मूल्यों का कोई महत्व नहीं है। आधुनिक मानव के स्वार्थ के कारण स्थिति इतनी शोचनीय होगयी है कि प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण चरम पर है जिसके परिणामस्वरुप जीवन मुश्किल हो गया है।

समय–समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाएं और प्रदूषण के कारण होने वाली असामयिक मृत्यु इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं ।आज सभी सरोवर, नदियां, तालाब, झीलें अपना प्राकृतिक सौंदर्य खो चुकी हैं और वहां गन्दगी को देखा

जा सकता है। फैक्टरियों और कारखानों से निकलने वाले धुंए और शोर के कारण हवा इतनी प्रदूषित है कि दो–पल की मानसिक शान्ति भी असंभव है। सतत निर्माण ने प्रकृति को लुप्त कर दिया है।

स्वतंत्रता के बाद से सरकार पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए सक्रिय रही है। समय–समय पर भारत में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए विभिन्न कानून बनाये गए हैं और संवैधानिक संशोधन किये हैं, परन्तु तेज गति से बढ़ते हुए प्रदूषण के विभिन्न रूपों पर आज तक नियंत्रण नहीं होपाया है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, केमिकल प्रदूषण पर्यावरणीय प्रदूषण के वो स्वरुप हैं जिन्होंने मानव जीवन को झकझोर कर रख दिया है और मानव–अस्तित्व को बचाने के लिए जिनपर शीघ्रातिशीघ्र नियंत्रण करना समय की मांग है।

भारत सरकार द्वारा समय–समय पर बनाये गए पर्यावरणीय संरक्षण कानूनों एवं प्रावधानों में प्रमुख रूप उल्लेखनीय हैं– जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा 1977, वायु (प्रदूषण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, वन्यजीवन संरक्षण अधिनियम, 1972, वन संरक्षण अधिनियम, 1980, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, जैव–विविधता संरक्षण अधिनियम, 2002, राष्ट्रीय जलनीति, 2002, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2004, वन अधिकार अधिनियम, 2006 आदि।

साहित्यावलोकन

गोविंद नारायण सिन्हा (2003), A Comparative study of the environmental laws of india and the uk with special reference to their enforcement शीर्षक के अंतर्गत लिखते हैं कि भारत को विभिन्न पर्यावरणीय कानून के प्रवर्तन में सुधार के उपाय करने चाहिए भारत को पर्यावरणीय प्रदूषण पर संशोधित नीति अपनानी चाहिए प्रदूषण रोकथाम, प्रदूषण उन्मूलन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। विभिन्न पर्यावरण कानूनों का पुनर्गठन करना चाहिए। पर्यावरण के प्रवर्तन के लिए एक सहकारी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। भारत इन क्षेत्रों में ब्रिटेन से सकारात्मक रूप से सबक ले सकता है।

प्रदीप कुमार कश्यप और सुनीत द्विवेदी (2013), Environmental Protection Law and Policy in India के अंतर्गत लिखते हैं कि पर्यावरण में सभी तत्व, कारक और स्थितियां शामिल हैं जिनका कुछ जीवों के विकास पर कुछ प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण में जैविक और अजैविक दोनों तरह के कारक शामिल होते हैं जिनका अवलोकित जीवों पर प्रभाव होता है।

अमिताभ पांडे (मई 31, 2014), मध्य प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के जरिये जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर एक प्रकाश शीर्षक के अंतर्गत लिखते हैं कि यदि वर्षा के पैटर्न में हो रहे बदलाव, तापमान में बढोत्तरी को जलवायु परिवर्तन के नजरिए से देखा जाए तो इससे कृषि और वनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। वैज्ञानिक तथ्य कृषि पर जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभाव की ओर इशारा करते हैं, हालांकि पारिस्थिकी और अर्थव्यवस्था के बीच जटिल सबंधों को देखते हुए अभी इसके परिणामों का सटीक आंकलन संभव नहीं हैं।

राजेश निरंजन (2014), ने बढ़ते वायु प्रदूषण से देश में खाद्यान्न उपज आधी शीर्षक के अंतर्गत लिखा है कि वायु प्रदूषण से सीधे तौर पर भारत के खाद्यान्न उत्पादन पर बुरा असर पड़ रहा है। देश में बढ़ते प्रदूषित कोहरे (स्मॉग) के कारण फसलों की संभावित उपज आधी रह गई है। सन् 2010 में जितनी फसल संभावित थी, वायु प्रदूषण के चलते पैदावार उसकी 50 फीसद ही हुई।

पिछले तीस साल के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए वैज्ञानिकों ने भारत का एक सांख्यिकीय मॉडल तैयार किया है। इस मॉडल के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण सघन बसे राज्यों में गेहूं की उपज 50 फीसद तक कम हो गई है। आवश्यक खाद्य सामग्री के उत्पादन में स्मॉग के कारण 90 फीसद तक की कमी आई है। काले कार्बन और अन्य प्रदूषक तत्वों से बना स्मॉग तेजी से देश की मिट्टी के उपजाऊपन को निगलता जा रहा है। सिर्फ प्रदूषित वायु और काला कोहरा ही नहीं वैश्विक तापमान बढने से मौसम में होने वाले बदलावों के चलते भी खाद्यान्न की दस फीसद उपज कम हो गई।

कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं और प्रमुख शोधकर्ता जेनिफर बर्नी ने कहा कि सरकारें जब वायु प्रदूषण को दूर करने के उपायों के खर्च और नए कानूनों को बनाने पर चर्चा करती हैं तो वह उस समय कृषि को अपने जहन में नहीं रखतीं। लेकिन अब वह उम्मीद करती हैं कि उनके इस शोध से वायु प्रदूषण को कम करने के उपायों को बल मिलेगा। ये शोधपत्र मौजूदा पर्यावरण और वायु प्रदूषण का भारतीय कृषि पर प्रभाव शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में प्रकाशित किया गया है।

लोकेन्द्र सिंह (2016), भारतीय परम्पराओं का पर्यावरण संरक्षण से नाता पुराना है... शीर्षक के अंतर्गत लिखते हैं कि भौतिक विकास के पीछे दौड़ रही दुनिया ने आज जरा ठहरकर सांस ली तो उसे अहसास हुआ कि चमक–धमक के फेर में क्या कीमत चुकाई जा रही है। आज ऐसा कोई देश नहीं है जो पर्यावरण संकट पर मंथन नहीं कर रहा हो। भारत भी चिंतित है। लेकिन, जहां दूसरे देश भौतिक चकाचौंध के लिए अपना सबकुछ लुटा चुके हैं, वहीं भारत के पास आज भी बहुत कुछ है। पश्चिम के देशों ने प्रकृति को हद से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। पेड़ काटकर जंगल के कांक्रीट खड़े करते समय उन्हें अंदाजा नहीं था कि इसके क्या गंभीर परिणाम होंगे? प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए पश्चिम में मजबूत परंपराएं भी नहीं थीं। प्रकृति संरक्षण का कोई संस्कार अखण्ड भारतभूमि को छोड़कर अन्यत्र देखने में नहीं आता है। जबकि सनातन परम्पराओं में प्रकृति संरक्षण के सूत्र मौजूद हैं। हिन्दू धर्म में प्रकृति पूजन को प्रकृति संरक्षण के तौर पर मान्यता है। भारत में पेड़–पौधों, नदी–पर्वत, ग्रह–नक्षत्र, अग्नि–वायु सहित प्रकृति के विभिन्न रूपों के साथ मानवीय रिश्ते जोड़े गए हैं। पेड़ की तुलना संतान से की गई है तो नदी को मां स्वरूप माना गया है। ग्रह–नक्षत्र, पहाड़ और वायु देवरूप माने गए हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

1. पर्यावरण के बारे में समझदारी विकसित करना।
2. प्राचीन भारत में लोगों के पर्यावरण–प्रेम का उल्लेख करना।
3. वर्तमान में पर्यावरण के प्रति लोगों की उदासीनता को प्रकट करना।
4. आधुनिक मानव की पर्यावरणीय उदासीनता के जिम्मेदार कारकों का उल्लेख करना।
5. पर्यावरण–प्रदूषण के विभिन्न स्वरूपों को प्रकट करना।
6. वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण एवं केमिकल प्रदूषण के नकारात्मक प्रभावों की समीक्षा करना।
7. पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता और महत्व की व्याख्या करना।
8. विभिन्न पर्यावरण संरक्षण कानूनों एवं प्रावधानों से अवगत करवाना।
9. भारतीय पर्यावरणीय प्रदूषण परिदृश्य प्रस्तुत करना।
10. पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

प्राक्कल्पना

1. पर्यावरण एक प्रमुख मानवीय कवच है जो मानवजीवन को सुरक्षा एवं सुगमता प्रदान करता है।
2. भारत प्राकृतिक पर्यावरण की दृष्टि से एक संपन्न देश है।
3. भारतियों के प्रकृति–प्रेम एवं पर्यावरण प्रेम ने स्वाभाविक रूप से पर्यावरण को संरक्षित रखा है।
4. पर्यावरण प्रेम व्यक्ति को भौतिक संस्कृति से दूर रखता है एवं जीवन को स्वाभाविक रूप से जीने के लिए प्रेरित करता है।
5. आधुनिक भारत में पर्यावरणीय मूल्यों का ह्रास हुआ है।
6. भारत का वर्तमान पर्यावरणीय परिदृश्य आघातपूर्ण है।
7. भारत में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं केमिकल प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न स्वरुप हैं।
8. भारत में पर्यावरण प्रदूषण की गति अनियंत्रित है तथा इसको जनहित में नियंत्रित करना समय की मांग है।
9. भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेकों कानून एवं प्रावधान हैं।
10. पर्यावरण प्रदूषण को जागरूकता कार्यक्रमों की सहायता से कम किया जासकता है।

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोधपत्र द्वितीयक तथ्यों एवं व्यक्तिगत अवलोकन पर आधारित विवरणात्मक अध्ययन है जिसके अंतर्गत भारतीय सन्दर्भ में पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी विभिन्न कानूनों एवं प्रावधानों की समीक्षा प्रस्तुत की गयी है।

अध्ययन की वैज्ञानिकता हेतु अध्ययन में वस्तुनिष्ठता का विशेष ध्यान रखा गया है और पर्यावरण प्रदूषण की वास्तविक स्थिति को यथावत प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन हेतु सामान्य शोध प्ररचना और वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया है।

अध्ययन हेतु वैज्ञानिक चरणों को अपनाया गया है, उनमें प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं– विषय का चुनाव एवं परिभाषीकरण, निश्चित अध्ययन दिशा प्राप्त करने हेतु विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण, विषय की जानकारी विकसित करने हेतु सम्बंधित साहित्य की खोज करना एवं सम्बंधित साहित्य का अध्ययन करना, व्यक्तिगत अनुभवों, प्रत्यक्षिकरणों एवं ज्ञान के आधार पर अध्ययन किये जाने वाले विषय हेतु कार्यकारी प्राक्कल्पना का निर्माण करना, चुने हुए प्रकाशित अध्ययनों से आवश्यक एवं तर्क–संगत तथ्यों को एकत्रित करना, उनका वर्गीकरण करना और उनका विश्लेषण करके अंत में प्रमुख निष्कर्ष निकालना और सुझाव प्रस्तुत करना।

निष्कर्ष

1. मानव जीवन को सरल, सुगम, आनंददायक और सुखद बनाने के लिए पर्यावरण संरक्षण सर्वाधिक आवश्यक है।
2. प्रकृति–प्रेम, व्यवहार और जीवन शैली की सादगी, महत्वकंक्षारहित जीवन आदि व्यक्ति को पर्यावरण से जोड़ने में सहायक हैं।
3. प्राचीन भारत में संयमित पर्यावरण था और तत्कालीन समाज पर्यावरण प्रदूषण से अज्ञात और अछूता था।
4. पर्यावरण प्रदूषण आधुनिकता की देन है।
5. आधुनिक जीवन शैली, महत्वाकांक्षाओं की अधिकता, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण, अधिकतम सुख भोगने की लालसा एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति बढ़ती उदासीनता आदि पर्यावरण प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं।
6. भारत में पर्यावरण प्रदूषण की विकराल स्थिति है।
7. जल प्रदूषण के लिए लोगों की उदासीनता, लापरवाही, व जल के स्रोतों मैं गंदगी फेंकना आदि जिम्मेदार हैं।
8. वायु प्रदूषण के लिए तेजी से बढ़ता औद्योगीकरण जिसके अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और औद्योगिक क्षेत्र का सृजन और विस्तार किया जारहा है, जिम्मेदार हैं।
9. ध्वनि प्रदूषण के लिए जनसँख्या वृद्धि, संगीत की आधुनिक प्रवृत्ति, वाहनों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि एवं लोगों का वाहन प्रेम जिम्मेदार है।
10. केमिकल प्रदूषण के लिए फैक्टरियों की चिमनी से निकलने वाला धुआं और जहरीले रसायनों का स्राव है।
11. भारत का संविधान पर्यावरण संरक्षण के लिए और के प्रदूषण को कम करने के लिए कटिबद्ध है।
12. वर्तमान पर्यावरण संरक्षण कानून भारत में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में असफल सिद्ध हो रहे हैं।
13. पर्यावरण संरक्षण हेतु नवीन कठोर कानून एवं प्रावधानों की आवश्यकता है।
14. भारत के प्रत्येक नागरिक का पर्यावरण संरक्षण करने का नैतिक दायित्व है।
15. पर्यावरण संरक्षण के अभाव में आगामी मानव पीढ़ियों के जीवन की कठिनाइयां और अधिक बढ़ सकती हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *अमिताभ पांडे– मध्य प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के जरिये जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर एक*

प्रकाश, मध्य प्रदेश जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल, मई 31, 2014 ।

2. *गोविंद नारायण सिन्हा– A Comparative Study of the Environmental Laws of India and the UK (With Special Reference to their Enforcement) बर्मिंघम विश्वविद्यालय, 2003 ।*
3. *लोकेन्द्र सिंह– भारतीय परम्पराओं का पर्यावरण संरक्षण से नाता पुराना है..., पबिवूा.पद, संस्कृति, 05 जून, 2016 ।*
4. *प्रदीप कुमार कश्यप और सुनीत द्विवेदी–Environmental Protection Law and Policy in India, 2013 ।*
5. *राजेश निरंजन– बढ़ते वायु प्रदूषण से देश में खाद्यान्न उपज आधी, जागरण, 5 नवम्बर, 2014 ।*